प्रदान करना तथा बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास करना है।

बागवानी हेतु भूमि को भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम से छूट

2680. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बागवानी के प्रयोजन हेतु निर्धारित की गई प्रस्तावित भूमि को कृषि भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम से छूट प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड की मुजफ्फरनगर इकाई का निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम

2681. **श्री गया सिंह:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटीकल्स की मुजफ्फरनगर इकाई को निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में चलाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं जबकि इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड ने हिन्दुस्तान ऑरगेनिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के साथ अपना विलय करने का सुझाव दिया था, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे निजी क्षेत्र की कौन सी कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में निबन्धन और शर्तें क्या हैं तथा इसमें किए जाने वाले पूंजी निवेश और कार्यरत कामगारों की सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) और (ख) बिहार ड्रग्स आर्गेनिक केमिकल्स लि० (बी०डी०ओ०सी०एल०), मुजफ्फरपुर, जोकि आई डी पी एल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है में किसी संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आई डी पी एल को प्राधिकृत किया गया है। नियंत्रण में लेने की तकनीकी-आर्थिक संभावनाओं पर तथा एच ओ सी एल द्वारा मुजफ्फरपुर इकाई के पुनरुद्धार पर विचार एच ओ सी एल के प्रबंधक बोर्ड को करना है।

(ग) किसी खास निजी क्षेत्र या सरकार क्षेत्र की कम्पनी के साथ कोई संयुक्त उद्यम बनाने के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Recommendations of Brahama Prakash Committee

2682. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the salient recommendations of the Brahama Prakash Committee report on cooperative Bill;

(b) whether Government have accepted the recommendations of the Committee;

(c) if so, reasons for not introducing the Bill in the Parliament; and

(d) by when Government propose to introduce it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The salient recommendations of the Brahama Prakash Committee Report on 'Model Cooperatives Act' are given in the statement (*see* below)

(b) The Government have accepted the recommendations of the Committee in principle.

(c) and (d) It has been decided to replace the existing Multi State Cooperative Societies Act, 1984 on the lines of the recommendations made by Ch. Brahama Prakash Committee Report. The Multi State Cooperative Societies Bill will be introduced after completing the procedural formalities.